सख्या 1157 /XII /13/86(10)/2005, टी0सी0–I

प्रेषक,

कुणाल शर्मा
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज विभाग देहरादून, दिनांक 20 मई,2013

विषयः क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 हेतु प्राविधानित धनराशि के आवंटन के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–57/पं0–2/148/क्षे0पं0वि0नि0/2013–14, दिनांक 08–04–2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्यय में विकास खण्डों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये 75175 हजार मात्र (रूपये सात करोड इक्यावन लाख पिचहतर हजार मात्र) निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– उक्त धनराशि का किसी भी दशशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार फाण्ट अपने स्तर से किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाएगा तथा संबंधित योजनाओं हेतु नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

3– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर जारी/जारी होने वाले मितव्ययता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय,तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

4– निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/प्राविधक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय।

5– उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र–बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

6– विभागाध्यक्ष स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्यय में विकास खण्डों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र पंचायत विकास निधि में प्राविधानित चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101– पंचायतीराज–07– विकासखण्डों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय की मद धनराशि रूपये 45,000 हजार मात्र (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत– 101– पंचायतीराज–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–विकास खण्डों में विकास कार्यो हेतु क्षेत्र निधि की स्थापना–42–अन्य व्यय हेतु रूपये 23175 हजार (रूपये दो करोड इकतीस लाख पिचहतर हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या–31 लेखाशीर्षक–2515–अन्य विकास कार्यक्रम–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–03–विकास खण्डों में विकास कार्य हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय हेतु रूपये 7000 हजार(रूपये सत्तरह लाख मात्र)की धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या–183 / XXVII–1 / 2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर– जनरेट कर जारी किए जा रहे है। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII (1)/2013, दिनांक 30 मार्च,2013 में प्रदत्त दिशा निर्देश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Kunal

(कुणाल शर्मा)

सचिव

17.5.13

संख्या /XII /13/82(07)/2010, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– आयुक्त, कुमायू/गढवाल मण्डल उत्तराखण्ड।

3– वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।

4– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0नपलच्याल)

अपर सचिव